दिनांक–27.05.2025 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार राजस्व सेवा संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की कार्यवाही।

दिनांक–27.05.2025 (मंगलवार) को पूर्वाहन 10 बजे अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार राजस्व सेवा संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :–

1. श्री जय सिंह, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार।
2. श्री अरूण कुमार सिंह, विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार।
3. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार।
4. श्री आनन्द कुमार, अध्यक्ष, बिहार राजस्व सेवा संगठन, पटना।
5. श्री रविकान्त, उपाध्यक्ष, बिहार राजस्व सेवा संगठन, पटना।
6. श्री राहुल कुमार, संयुक्त सचिव, बिहार राजस्व सेवा संगठन, पटना।
7. श्री पुष्कल कुमार, सदस्य, बिहार राजस्व सेवा संगठन, पटना।
8. श्री गरिमा गीतिका, सदस्य, बिहार राजस्व सेवा संगठन, पटना।

बिहार राजस्व सेवा संघ की वार्षिक आम सभा के माध्यम से राजस्व सेवा कैडर पुनर्गठन, सेवा शर्तों में सुधार, स्थानांतरण नीति, प्रोन्नति प्रक्रिया इत्यादि से संबंधित निम्न बिन्दुओं पर वार्ता हुई :–

- संघ द्वारा बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद (वेतन स्तर–7) को इस संवर्ग से हटाने एवं अंचल अधिकारी एवं समकक्ष पद (वेतन स्तर–9) पर सीधी भर्ती किये जाने का प्रस्ताव दिया गया। उल्लेखनीय है कि अंचल अधिकारी का पद काफी उत्तरदायित्व का होता है तथा इसके लिए राजस्व संबंधी कार्यों का पर्याप्त अनुभव आवश्यक होता है। अतः इसी आवश्यकता के कारण राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद का सृजन इस संवर्ग के अन्तर्गत किया गया है, जो नियमसंगत एवं लोकहित में है।
- वेतन स्तर–11 में प्रोन्नत/उच्चतर प्रभार प्रदत्त राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पद पर पदस्थापित किया जाय। उल्लेखनीय है कि सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन किया गया है तथा राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समकक्ष एवं अन्य उपलब्ध पदों पर पदस्थापित किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पद पर राजस्व सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन सरकार का विशेषाधिकार है तथा इस हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के साथ मुख्य सचिव द्वारा वार्ताएँ की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में भी वाद दायर है, जिसपर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। विभाग द्वारा वेतन स्तर–11 के अन्य पद अपर ज़िला भू–अर्जन पदाधिकारी के 104 नए पदों का सृजन कराया गया है तथा

नियमावली में संशोधन कर इस स्तर के अन्य पदों का सृजन भी कराया जा रहा है। न्यायालय एवं सरकार के निर्णय के आलोक में अग्रिम कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

- अपर जिला दण्डाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता के पदों को विभाजित कर अपर समाहर्त्ता के पद पर राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को पदस्थापित किये जाने का भी प्रस्ताव दिया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपर समाहर्त्ता का पद मूलतः बिहार प्रशासनिक सेवा का संवर्गीय पद है। बिहार राजस्व सेवा संवर्ग में इसके समकक्ष पद अपर समाहर्त्ता (भू-हदबंदी) है जिसकी संख्या केवल-15 है। इसे प्रस्तावित संशोधन नियमावली में विलोपित कर इसके समकक्ष सभी जिलों एवं प्रमण्डलों में क्रमशः जिला राजस्व पदाधिकारी एवं प्रमण्डलीय राजस्व पदाधिकारी के कुल-47 पद सृजित करने का प्रस्ताव है ताकि राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें।
- अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी के लिए आवास की सुविधा हर अंचल में किये जाने के संबंध में वार्ता हुई तथा इस हेतु ग्रामीण विकास विभाग एवं भवन निर्माण विभाग से सामंजस्य स्थापित कर अग्रतर कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया।
- पुराने एवं निष्प्रयोजित वाहनों को बदले जाने हेतु अंचलों द्वारा वाहन को नियमानुसार निष्प्रयोजित किये जाने की कार्रवाई कर उसकी चालान की प्रति विभाग को उपलब्ध कराने के उपरांत विभाग द्वारा नए वाहन क्रय कर अंचल कार्यालयों को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
- एक अंचल के अधीन एक से अधिक पुलिस थाना होने के कारण अंचल कार्यालय में ही अंचलाधिकारी के साथ थाना प्रभारी की संयुक्त साप्ताहिक बैठक/जनता दरबार आयोजित कराये जाने, भू-समाधान पोर्टल पर तत्संबंधी कार्यवाही प्रतिवेदन अंचलाधिकारी द्वारा भी अपलोड किये जाने तथा शनिवार को जिला स्तर पर क्राईम मीटिंग में थाना प्रभारी के चले जाने के कारण इस साप्ताहिक बैठक को शनिवार के स्थान पर किसी अन्य दिवस को कराये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इस संबंध में दिशा-निदेश गृह विभाग द्वारा संसूचित किये जाने के कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए गृह विभाग से समन्वय स्थापित कर अग्रतर कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया।
- कोर्ट-डे सप्ताह में कम-से-कम 04 दिन निर्धारित करने के संबंध में सभी समाहर्त्ता को पत्र प्रेषित करने का भी आश्वासन दिया गया।
- ई-गवर्नेन्स एवं अन्य विभागीय अधिसूचनाओं/नियमों की अद्यतन जानकारी एवं प्रशिक्षण हेतु राजस्व सेवा के अधिकारियों को सावधिक 05 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिये जाने एवं कार्य करने में आ रही समस्याओं के संबंध में नियमित समीक्षा बैठक किये जाने से संबंधित दिशा-निदेश शीघ्र ही संसूचित किये जाने का आश्वासन दिया गया।

- HRMS 2.0 के शीघ्र क्रियान्वयन एवं इसके अन्तर्गत मुख्यतया Leave Management Module के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की छुट्टियों की स्वीकृति किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। ज्ञातव्य है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा HRMS 2.0 एवं इसके अन्तर्गत कई Modules क्रियाशील कर दिये गये हैं, जिनका प्रयोग सभी Users एवं Employees अपने स्तर से कर सकते है तथा इसकी Mapping भी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के Admin स्तर से की जा सकती है। साथ ही बिहार सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृति उपरांत अवकाश का उपभोग किया जा सकता है।
- अंचलों में कार्यरत महिला अधिकारियों/कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रत्येक अंचल कार्यालय में प्रभावी अंचल गार्ड रखने तथा अतिक्रमण/भूमि विवाद निपटाने हेतु अंचलाधिकारी को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित करने का भी आश्वासन दिया गया।
- Spouse Ground पर राजस्व सेवा के पदाधिकारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन नियमानुसार कराये जाने का भी आश्वासन दिया गया।
- अंचलों हेतु राशि का आवंटन विभाग द्वारा समाहर्त्ता के माध्यम से अंचलवार कर्णांकित कर किये जाने का भी आश्वासन दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

31/5/25

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–03/स्था0रा0से0(बि0रा0से0 संगठन)–05/2025–340(3)/रा0, पटना–15, दिनांक–01.06.2025

प्रतिलिपि– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/विभागीय सभी वरीय/कनीय प्रभारी पदाधिकारी/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/अध्यक्ष, बिहार राजस्व सेवा संघ, पटना को उनके पत्रांक–BiRSA/25/04/04, दिनांक–11.04.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।